

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 24क
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रारूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण पत्र आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

- राजनैतिक दल का नाम **राष्ट्रीय जनसभा पार्टी,**
- राजनैतिक दल की प्रास्थिति
(मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त) **अमान्यता प्राप्त**
- राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता **कॉलेज कॉलोनी वार्ड, कोण्डगाँव, जि. कोण्डगाँव**
- निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख **27/08/2015,**
- स्थायी खाता सं० (पेन) और वह आय-कर वार्ड सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है **AAADAP 7350 A,**
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपये से अधिक हैं, के ब्यौरे :-

क्र०सं०	अभिदात्री व्यक्ति/कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन(यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति (चेक/मांगदेय ड्राफ्ट/नकद)	टिप्पणियां
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

चेक/मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

- यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

सत्यापन

मैं लखमू राम टंडन (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री पंचशम टंडन
सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।
मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं उपर नामित राजनैतिक दल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी हैसियत में इस प्ररूप को सत्यापित कर रहा हूँ और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूँ।

तारीख
स्थान

17/02/2022
21455

लखमू राम टंडन
(कोषाध्यक्ष/प्राभिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

लखमू राम टंडन
राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय जनसभा पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय, कोण्डगाँव
जिला - कोण्डगाँव (छ.ग.)